7

सकल कुल आय से कटौतियाँ

[DEDUCTIONS FROM GROSS TOTAL INCOME]

अध्ययन परिणाम (Learning Outcomes)
इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप समझ पायेंगे :
❑ सकल कुल आय से होने वाली कटौतियों के प्रकारों को समझने में।
❑ विभिन्न धाराओं में कटौती के योग्य करदाताओं की पहचान करने में।
❑ मुख्य धाराओं के अन्तर्गत विभिन्न भुगतानों के सम्बन्ध में कटौतियों की गणना हेतु प्रावधानों के प्रयोग करने में।
❑ मुख्य धाराओं के अन्तर्गत विभिन्न आयों के सम्बन्ध में लागू प्रावधानों का प्रयोग करके कटौती की गणना करने में।
❑ दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में मान्य कटौती की गणना करने में।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अध्याय परिदृश्य

सकल कुल आय से कटौतियाँ

- **कुछ भुगतान के सम्बन्ध में कटौतियाँ**
  - **धारा 80 C** - LIP, PPF PF आदि से सम्बन्धित
  - **धारा 80 CCC** - कुछ पेंशन कोषों में अंशदान के सम्बन्ध में
  - **धारा 80 CCD** - केन्द्र सरकार की पेंशन योजना में अंशदान के सम्बन्ध में
  - **धारा 80 D** - स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान के सम्बन्ध में
  - **धारा 80 DD** - आश्रित दिव्यांग की देखरेख के सम्बन्ध में
  - **धारा 80 DDB** - विशिष्ट बीमारियों के इलाज हेतु भुगतान राशि से सम्बन्धित
  - **धारा 80E** - उच्चतर शिक्षा हेतु ऋण पर ब्याज का भुगतान
  - **धारा 80 EE/EEA** - व्यक्ति द्वारा रिहायशी मकान के अधिग्रहण के लिए ऋण पर ब्याज भुगतान के सम्बन्ध में
  - **धारा 80 G** - कुछ कोषों व दानार्थ संस्थाओं को भुगतान से सम्बन्धित
  - **धारा 80 GG** - किराये के भुगतान के सम्बन्ध में
  - **धारा 80 GGA** - ग्रामीण विकास व वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु दान
  - **धारा 80 GGB** - राजनीतिक दलों को कम्पनियों द्वारा दिये गये अंशदान से सम्बन्धित
  - **धारा 80 GGC** - किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को अंशदान के सम्बन्ध में
- **कुछ आयों के सम्बन्ध में कटौतियाँ**
  - **धारा 80JJAA** - नये कर्मचारियों को रोजगार के सम्बन्ध में
  - **धारा 80 RRB** - पैटेन्ट के अधिकार–शुल्क के सम्बन्ध में
  - **धारा 80 QQB** - पाठ्य–पुस्तकों के अलावा कुछ पुस्तकों के लेखकों को अधिकार शुल्क की आय के सम्बन्ध में
- **अन्य आयों के सम्बन्ध में कटौतियाँ**
  - **धारा 80 TTA** - बचत खाते की जमा पर ब्याज के सम्बन्ध में
  - **धारा 80 TTB** - वरिष्ठ नागरिक के मामले में जमा पर ब्याज के सम्बन्ध में
- **अन्य कटौतियाँ**
  - **धारा 80 U** - विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती

© The Institute of Chartered Accountants of India

1. सामान्य प्रावधान (General Provisions)

जैसा कि पहले हम देख चुके हैं, धारा 10 में कुछ आय कर–मुक्त हैं। ऐसी आय को कुल आय में शामिल नहीं करते तथा उन्हें गणना कि क्रिया करते समय छोड़ दिए जाते हैं। दूसरी ओर अध्याय VI-A में सकल कुल आय से होने वाली कटौतियाँ हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि यदि सकल कुल आय शून्य है तो कोई कटौती मान्य न होगी। इस अध्याय में कुछ आयों के सम्बन्ध में कटौतियाँ हैं, कुछ भुगतानों के सम्बन्ध में कटौतियाँ हैं, अन्य आयों के सम्बन्ध में कटौतियां और अन्य कटौतियां निहित है।

धारा 80A (Section 80A)

(i) धारा 80A(1) के अनुसार करदाता की कुल आय की गणना करने में, उसकी सकल कुल आय में, धारा 80 C से 80U में निर्दिष्ट कटौतियों की अनुमति होगी।

(ii) धारा 80A(2) के अनुसार किसी भी मामले में इस अध्याय के तहत कटौतियों का कुल योग सकल कुल आय से अधिक नहीं होगा।

इस प्रकार, अध्याय VI-A के कटौती के परिणामस्वरूप निर्धारिती को कोई हानि नहीं हो सकती और आने वाले वर्षों में अपनी आय के तहत पूर्णित करने के उद्देश्य के लिए उसे आगे ले जाने के लिए क्लेम (Claim) करेगा।

(iii) AOP/BOI के मामले में धारा 80A(3) निर्धारित करती है कि यदि धारा 80G/80GGA/ 80GGC[1] के तहत कटौती स्वीकृत होती है तो AOP या BOI की आय में उस सदस्य के भाग के सम्बन्ध में AOP या BOI के सदस्य की कुल आय की गणना करने में इस धाराओं के तहत कोई कटौती नहीं मिलेगी।

(iv) किसी कर निर्धारण वर्ष में शीर्ष C- कुछ आयों के सम्बन्ध में कटौतियों के तहत अध्याय VI-A के किसी प्रावधान के तहत या धारा 10AA के तहत कटौती के रूप में स्वीकृत लाभ, उस कर निर्धारण वर्ष के लिए अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं होंगे। [धारा 80A(4)]

(v) ऊपर (iv) में निर्दिष्ट कटौती किसी योग्य व्यवसाय या उद्योग इकाई या उद्यम के लाभों से अधिक नहीं होगी [धारा 80A(4)]

(vi) ऊपर निर्दिष्ट प्रावधान (iv) में कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी यदि उसका आय कर विवरणी में दावा किया गया हो [धारा 80A(5)]

(vii) ऐसे उपक्रम या इकाई या उद्यम या योग्य व्यवसाय और निर्धारिती के किसी अन्य व्यवसाय के मध्य माल और सेवाओं के हस्तान्तरण का मूल्य, हस्तान्तरण की तिथि पर ऐसे माल या सेवाओं के बाजार मूल्य पर निर्धारित होगा। [धारा 80A(6)]

(viii) इस उद्देश्य से बाजार मूल्य का अर्थ होगा–

(a) किसी बेची गई या आपूर्ति किए गए माल या सेवा की वह कीमत जो उसे उद्यम इकाइयाँ पात्र व्यवसाय द्वारा खुले बाजार में बेचने या भेजने पर प्राप्त वैधानिक या नियामक सीमाओं के तहत, यदि कोई हो,

[1] 80-IA/80-IB/80-IC/80-ID/80-IE

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) क्रय की वस्तु या सेवा के सम्बन्ध में, वस्तु या सेवा की लागत यदि वह वस्तु या सेवा खुले बाजार में वैधानिक या नियामक सीमाओं के अन्तर्गत जो उद्यम इकाई या पात्र व्यवसाय को क्रय करने पर वहन करनी पड़े,

(ix) जहाँ "C- कुछ उपायों के सम्बन्ध में कटौतियाँ" शीर्ष के तहत इस अध्याय के किसी प्रावधान के तहत किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए उस निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ के सम्बन्ध मे कटौती स्वीकृत या प्रभार्य होती है, धारा 35AD के तहत उस समान या किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे निर्दिष्ट व्यवसाय के सम्बन्ध में कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी।

संक्षेप में, कर दाता द्वारा किसी विशिष्ट व्यवसाय के सम्बन्ध में धारा 35AD के अधीन प्रभार्य कटौती का दावा इस अध्याय के अन्तर्गत आयों से सम्बन्धित कटौती के लिए उसी या अन्य कर–निर्धारण वर्ष में या इसके विपरीत नहीं कर सकेगा।

धारा 80AB (Section 80AB)

"C- शीर्ष के तहत कुछ आयों के सम्बन्ध में कटौतियाँ" शीर्ष के तहत अध्याय VI-A में निर्दिष्ट कटौतियाँ आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणित केवल ऐसी आय की सीमा तक स्वीकृत निर्धारिती की सकल कुल आय में सम्मिलित होती है।

धारा 80AC : "C- कुछ आयों के सम्बन्ध में कटौतियाँ" शीर्ष के तहत अध्याय VI-A तहत कटौती के मुआवजे के लिए आय की विवरणी देय तिथि को या उससे पूर्व दाखिल करना अनिवार्य [Section 80AC : Furnishing return of income on or before due date mandatory for claiming deduction under chapter VI-A under Heading "C-Deduction in respect of certain Incomes".]

(i) धारा-80AC, धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट देय तिथि पर या उससे पूर्व आय की विवरणी शीर्ष "C- कुछ आयों के सम्बन्ध में कटौतियाँ" के तहत अध्याय VI-A के तहत किसी प्रावधान का लाभ प्राप्त करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में, को अनिवार्य रूप से दाखिल करना निर्धारित करती है।

शीर्ष "C- कुछ आय के सम्बन्ध में कटौतियाँ" के तहत अध्याय VI-A में निहित कटौतियाँ प्रदर्शित करती हुई तालिका

(Table showing the deduction contained in chapter VI-A under the heading "C-Deduction in respect of certain Income")

धारा	*कटौती*
80-IA	*आधारभूत संरचना के विकास/प्रचालन/रखरखाव, विद्युत के उत्पादन/संचरण/ वितरण आदि में संलग्न उपक्रम या उद्यम से लाभों और मुनाफे के सम्बन्ध में कटौती।*
80-IAB	*SEZ के विकास में संलग्नित उपक्रम या उद्यम द्वारा प्राप्त लाभों और आयों के सम्बन्ध में कटौती।*
80-IAC	*एक योग्य व्यवसाय में योग्य नए छोटे उद्यम द्वारा प्राप्त लाभों और आयों के सम्बन्ध में कटौती।*

© The Institute of Chartered Accountants of India

80-IB	*आधारभूत संरचना विकास उद्यम के अलावा कुछ औद्योगिक उद्यमों से लाभों और आयों के सम्बन्ध में कटौती।*
80-IBA	*आवासीय परियोजना से लाभों और आयों के सम्बन्ध में कटौती।*
80-IC	*कुछ निर्दिष्ट श्रेणी राज्यों [हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड] में कुछ उद्यमों या उपक्रमों से लाभों और आयों के सम्बन्ध में कटौती।*
80-IE	*उत्तर पूर्वी राज्यों में योग्य व्यवसाय चलाने के लिए किसी योग्य वस्तु या उत्पाद के उत्पादन या निर्माण के पर्याप्त विस्तार, योग्य उत्पाद या वस्तु के उत्पादन या निर्माण या उत्पादन से लाभों और आयों के सम्बन्ध में कटौती।*
80-JJA	*जैव नष्ट होने योग्य अपशिष्ट (Biodegradable waste) की प्रक्रिया या एकत्रीकरण के व्यवसाय से लाभों और आयों के सम्बन्ध में कटौती।*
80-JJAA	*नए कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कटौती।*
80-LA	*अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र और विदेश में स्थित बैंक से कुछ आयों के सम्बन्ध में कटौती।*
80-P	*सहकारी संस्था की आय के सम्बन्ध में कटौती।*
80-PA	*निर्माता कम्पनी की कुछ आय के सम्बन्ध में कटौती।*
80-QQB	*पाठ्य–पुस्तक के अलावा कुछ पुस्तकों के लेखक की रॉयल्टी आदि के सम्बन्ध में कटौती।*
80-RRB	*पैटेण्ट पर रॉयल्टी के सम्बन्ध में कटौती।*

(ii) *इस प्रावधान का प्रभाव होता है कि आयकर रिटर्न निर्धारित देय तिथि को या उससे पूर्व दाखिल करने में असफलता के मामले में, उपक्रम इन धाराओं के तहत कटौती का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ होगा।*

नोट : धारा 80IA से 80IE, 80JJA, 80LA, 80P और 80PA के तहत कटौतियाँ कुछ आयों के सम्बन्ध में अन्तिम स्तर पर विस्तृत रूप से देखी जाएँगी।

उदाहरण (Illustration) 1

निम्नलिखित कथनों की जाँच भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के संदर्भ में कीजिए।

(a) 80-IB के अन्तर्गत छूट पाने के लिए निगम करदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है, धारा 139(1) में निर्धारित तिथि के भीतर आयकर रिटर्न फाइल करना आवश्यक नहीं होता है।

(b) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4) के अन्तर्गत देरी से रिटर्न फाइल करने पर कर दाता को धारा 80- IE के अन्तर्गत छूट से वंचित किया जाएगा।

हल (Solution)

(a) **कथन सही नहीं है : धारा** 80-AC में धारा 139(1) अन्तर्गत रिटर्न फाइल करने की नियत तिथि या इससे पूर्व रिटर्न दाखिल करना धारा 80-IB के अन्तर्गत छूट पाने के लिए आवश्यक शर्त है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) **कथन सही है।** धारा 80AC अनुसार धारा 80-IE की छूट पाने के लिए करदाता को धारा 139(1) में नियत तिथि या इससे पूर्व अपना आयकर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अन्य शर्तों के साथ–साथ।

धारा 80B(5) [Section 80B(5)]

''सकल कुल आय'' से तात्पर्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अध्याय VI-A की कटौतियों के बिना गणना की गई कुल आय से है। ''अधिनियम के प्रावधानों के अधीन गणना से तात्पर्य होगा'' कि :

(i) उचित गणना धारा के तहत कटौतियाँ पहले से ही क्रियान्वित होंगी;

(ii) अन्य व्यक्तियों की आय, धारा 60 से 64 तक शामिल योग्य को शामिल किया गया है;

(iii) शीर्षक के अन्तर्गत व अन्तः शीर्षक हानियों का समायोजन कर लिया गया है;

(iv) अनावशोषित हानियों अनावशोषित ह्रास इत्यादि की पूर्ति कर ली गई है।

आओ सर्वप्रथम विभिन्न भुगतानों के सम्बन्ध में कटौतियों पर विचार करें।

2. भुगतानों के सम्बन्ध में कटौतियाँ (Deduction In Respect of Payments)

2.1. विशिष्ट सम्पत्तियों में विनियोग के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80C) [Deduction in respect of investment in specified assets (Section 80C)]

(i) विनियोग/अंशदान के लिए कटौती (Deduction in respect of investment/ contributions)

धारा 80 C के अनुसार कुछ विशिष्ट विनियोगों के लिए सकल कुल आय में से छूट प्राप्त होगी। धारा 80 के तहत छूट केवल व्यक्तियों व HUF को मिलेगी। धारा 80C के अन्तर्गत छूट की अधिकतम सीमा ₹ 1,50,000 तक होती है। निम्न अंशदान या विनियोग छूट के पात्र होंगे–

(1) जीवन बीमा पॉलीसी के प्रीमियम के सम्बन्ध में भुगतान (Premium paid in respect of Life Insurance policy)

किसी व्यक्ति, उसके जीवन साथी या बच्चे (वयस्क या अवयस्क) के जीवन बीमा या HUF के मामले में उसके किसी सदस्य के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान। इसमें जीवन पॉलिसी व बन्दोबस्ती पॉलिसी शामिल हैं।

जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्तियों पर छूट [धारा 10 (10D)] : जीवन बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त कोई भी राशि, बोनस को शामिल करते हुए प्राप्त राशि को व्यक्ति की आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित सारणी में धारा 80C के अन्तर्गत विभिन्न पॉलिसी के सन्दर्भ में तथा धारा [10 (10D)] में प्राप्त छूटों का विवरण उनके निर्गम की तिथि के अनुरूप दिया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	धारा 10 (10D) अन्तर्गत छूट	80C अन्तर्गत कटौती
01.04.2003 से पूर्व निर्गमित पॉलिसी	LIP के तहत प्राप्त कोई भी राशि, बोनस से प्राप्त राशि सहित कर मुक्त होती है।	वास्तविक बीमित राशि 20% तक प्रीमियम की राशि पर छूट
01.04.2003 व 31.03.2012 के बीच निर्गमित पॉलिसी के सम्बन्ध में	जीवन बीमा के अन्तर्गत बोनस समेत समस्त राशि, कर मुक्त होती है। हालांकि पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिये भुगतान किया गया प्रीमियम "वास्तविक पूँजी राशि" के 20% से अधिक होने पर छूट उपलब्ध नहीं होती है।	वास्तविक पूँजी राशि के 20% तक प्रीमियम भुगतान तक छूट सीमित
1.04.2012 को या उसके बाद लेकिन 1.04.2013 से पूर्व निर्गमित पॉलिसी के सम्बन्ध में	LIP के तहत प्राप्त कोई राशि बोनस के माध्यम से प्राप्त राशि सहित प्राप्त राशि कर मुक्त होती है। हालांकि कोई कटौती उपलब्ध नहीं होगी यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी वर्ष के देय प्रीमियम "कम–से–कम बीमित पूँजी राशि" से 10% अधिक होती है पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी समय पर बीमित घटना के घटित होने पर पॉलिसी के तहत।	कम–से–कम बीमित पूँजी राशि के 10% तक प्रीमियम भुगतान पर छूट
1.04.2013 या उसके बाद निर्गमित पॉलिसी	**(a) जहाँ जीवन बीमा उस व्यक्ति के जीवन के सम्बन्ध में हो जो 80U में वर्णित दिव्यांगता से पीड़ित हो या 80DD B में वर्णित बीमारी हो।**	
	LIP के तहत प्राप्त कोई राशि बोनस सहित समस्त राशि कर मुक्त होती है। हालांकि की अवधि के दौरान किसी समय पर बीमित घटना के घटित होने पर पॉलिसी के तहत कोई कटौती उपलब्ध नहीं होगी। यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी वर्ष को देय	कम–से–कम बीमित पूँजी राशि के 15% तक की प्रीमियम भुगतान पर छूट

© The Institute of Chartered Accountants of India

		प्रीमियम "कम–से–कम बीमित पूँजी राशि" का 15% अधिक होता है।	
	(b)	(a) **में वर्णित किसी अन्य व्यक्ति के जीवन बीमे के सम्बन्ध में**	
		LIP के तहत प्राप्त कोई राशि बोनस समेत समस्त राशि कर मुक्त होती है। हालांकि पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी समय पर बीमित घटना के घटित होने पर पॉलिसी के तहत कोई कटौती उपलब्ध नहीं होगी यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी वर्ष को देय प्रीमियम "कम–से–कम बीमित पूँजी राशि" का 10% से अधिक होता है।	कम–से–कम बीमित पूँजी राशि के 10% तक प्रीमियम भुगतान राशि तक

नोटस :

(a) वास्तविक बीमित राशि की गणना के समय नहीं मानी जाने वाली राशि : बीमित पूँजी राशि की गणना के लिए

(1) वापसी के लिए सहमत प्रीमियमों का मूल्य या

(2) बोनस अन्य किसी प्रकार वास्तविक बीमा राशि से अधिक लाभों के मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(b) वास्तविक बीमित राशि का अर्थ : 1.4.2012 को या बाद में निर्गमित जीवन बीमा पॉलिसियों के सम्बन्ध में, वास्तविक बीमा राशि का अर्थ है पॉलिसी के अन्तर्गत न्यूनतम बीमा राशि बीमित घटना के घटित होने पर या पॉलिसी की अवधि के दौरान अन्य कभी, निम्न को ध्यान में न रखते हुए–

(1) वापसी के लिए सहमत प्रीमियम का मूल्य; या

(2) किसी व्यक्ति को पॉलिसी के तहत कोई लाभ बोनस या अन्य किसी विधि से बीमित राशि के अतिरिक्त प्राप्त या प्राप्य राशि।

परिणामस्वरूप पॉलिसी की अवधि के दौरान भिन्न परिवर्तनषील मूल्यों वाली पॉलिसी के लिए वास्तविक बीमित राशि की गणना हेतु न्यूनतम बीमित राशि को ध्यान में रखा जाएगा। यह उन पॉलिसियों पर लागू है जो 1 अप्रैल, 2012 या बाद में निर्गमित हुई है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(c) धारा 80DD के अन्तर्गत दिव्यांग व्यक्ति द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि के लिए छूट उपलब्ध नहीं : धारा 80DD (3) के तहत प्राप्त कोई राशि धारा 10(10D) के तहत कर मुक्त नहीं होगी। तदनुसार यदि आश्रित विकलांग होता है, जिसके सम्बन्ध में एक व्यक्ति LIC की योजना या किसी अन्य बीमित को कोई राशि का भुगतान या जमा करता है, व्यक्ति के मर जाने से पहले, जमा या भुगतान की गयी वह राशि व्यक्ति की उस गत् वर्ष की आय मानी जाएगी जिसमें वह राशि प्राप्त होती है। वह राशि धारा 10 (10D) के तहत कर मुक्त होगा।

(d) keyman बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कर राशि कर मुक्त न होगी : धारा 10 (10 D) के स्पष्टीकरण में Keyman बीमा पॉलिसी को परिभाषित किया है : एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के जीवन की बीमा पॉलिसी लेना जो प्रथम व्यक्ति का कर्मचारी है या था या किसी प्रकार प्रथम व्यक्ति के व्यवसाय से उसका कोई सम्बन्ध था या है। इसमें वे पॉलिसी भी शामिल हैं जो इसकी अवधि में किसी व्यक्ति को किसी प्रतिफल या उसके बिना दी गई हैं। अतः ऐसी पॉलिसी को Keyman को दिए जाने के बाद भी उसकी मान्यता चालू रहेगी। परिणामतः ऐसी पॉलिसी की प्राप्त राशि धारा 10 (10D) में कर मुक्त न होगी।

उदाहरण (Illustration) 2

A.Y. 2020-21 के सम्बन्ध में श्री गणेश द्वारा गत वर्ष 2019-20 के दौरान भुगतान किए गए प्रीमियम की छूट के लिए स्वीकृत धारा 80 C के अन्तर्गत गणना करें।

	पॉलिसी की निर्गमित तिथि	*बीमित व्यक्ति*	*वास्तविक बीमा राशि (₹)*	*भुगतान प्रीमियम राशि (₹)*
(i)	*30-02-2012*	*स्वयं*	*5,00,000*	*51,000*
(ii)	*1-5-2015*	*जीवन–साथी*	*150,000*	*20,000*
(iii)	*1-6-2017*	*विकलांग पुत्र (धारा 80U दिव्यांगता)*	*400,000*	*80,000*

हल (Solution)

	पॉलिसी की तिथि	बीमित व्यक्ति	वास्तविक बीमित राशि	प्रीमियम	कटौती योग्य	सीमा
(i)	30-03-2012	स्वयं	5,00,000	51,000	51,000	20%
(ii)	1-5-2015	जीवन साथी	1,50,000	20,000	15,000	10%
(iii)	1-6-2017	दिव्यांग पुत्र (धारा 80U दिव्यांगता)	4,00,000	80,000	60,000	15 %
	Total				**₹ 126,000**	

© The Institute of Chartered Accountants of India

(2) स्थगित वार्षिकी की अनुबन्ध के सम्बन्ध में भुगतान प्रीमियम (Premium paid in respect of a contract for deferred annuity)

किसी व्यक्ति और उसके जीवन साथी या उसके बच्चे के जीवन पर स्थगित वार्षिकी के अनुबन्ध को जारी रखने के लिए भुगतान प्रीमियम की राशि बशर्ते कि अनुबन्ध में ऐसा प्रावधान न हो जो बीमित वार्षिकी भुगतान के स्थान पर नकद भुगतान के विकल्प को चुनने का अधिकार देता हो।

यह ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि स्थगित वार्षिकी का अनुबन्ध बीमा कम्पनी के साथ होना आवश्यक नहीं । अतः ऐसा अनुबन्ध किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है।

(3) सरकारी कर्मचारी के देय वेतन से स्थगित वार्षिकी को सुरक्षित रखने के लिए कटौती की राशि (Any sum deducted from the salary payable of a Government employee for securing a deferred annuity)

सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारी की वेतन से स्थगित वार्षिकी को सुरक्षित रखने या जीवन साथी या बच्चों हेतु प्रावधान के लिए कटौती की राशि। वेतन के 1/5 से अधिक की राशि पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

(4) SPF/PPF/ RPF में अंशदान (Contribution to SPF/PPF/RPF)

किसी भी प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान जिस पर प्रॉविडेन्ट फण्ड अधिनियम 1925 लागू होता हो, वह 80C के तहत कटौती प्राप्त होगी। केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित अन्य कोई प्रॉविडेन्ट फण्ड PPF योजना, 1968 की तरफ से अधिसूचित हो, वह भी 80 C अन्तर्गत कटौती के लिए स्वीकृत है। ऐसा अंशदान किसी व्यक्ति, उसके जीवन–साथी या बच्चे या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम या हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में हो सकता है तथा PPF में जमा की अधिकतम वार्षिक सीमा ₹ 1,50,000 हो।

उदाहरण (Illustration) 3

एक निर्धारिती व्यक्ति, भारत में निवासी, गत् वर्ष 2019-20 के द्वारा निम्नलिखित भुगतान/जमा करता है :

विवरण	*₹*
सार्वजनिक प्रॉविडेंट फण्ड के लिए अंशदान	*1,50,000*
जीवनसाथी के जीवन पर बीमा प्रीमियम का भुगतान 1.4.2015 को ली गयी पॉलिसी) (बीमित मूल्य ₹ 2,00,000)	*25,000*

A.Y. 2020-21 के लिए धारा 80 के तहत स्वीकृत कटौती क्या होती है ?

हल (Solution)

A.Y. 2020-21 के लिए धारा 80C के तहत कटौती की गणना

विवरण	₹
सार्वजनिक प्रॉविडेंट फण्ड में जमा	1,50,000
जीवन सभी के जीवन पर बीमा प्रीमियम का भुगतान (बीमित राशि ₹ 2,00,000 का अधिकतम 10% जैसे कि पॉलिसी 31.3.2012 के बाद ली गयी है)	20,000
कुल	**1,70,000**
हालांकि, धारा कुल 80C के तहत अधिकतम स्वीकृत कटौती सीमित होती है	1,50,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

(5) सेवानिवृत्ति कोष में अंशदान (Contribution to approved superannuation Fund)

किसी कर्मचारी द्वारा मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति कोष में अंशदान की राशि 80 C के अन्तर्गत कटौती योग्य है।

(6) सुकन्या समृद्धि खाते में जमा राशि (Any sum paid or deposited in Sukanya Samridhi Account)

केन्द्र सरकार की ऐसी किसी भी प्रतिभूति या सरकार के रूप में कोई जमा योजना की ऐसी सदस्यता जो आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित हो। तदानुसार, सुकन्या समृद्धि योजना को सूचित किया गया है कि युक्त योजना में पिछले वर्ष के दौरान भुगतान की गई या जमा की गई राशि के नाम से एक व्यक्ति द्वारा निम्न के नाम में हो–

(i) व्यक्ति की किसी पुत्री; या

(ii) ऐसी पुत्री जिसका व्यक्ति वैधानिक संरक्षण हो 80C के अन्तर्गत कटौती योग्य होगी।

(7) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र VIII **में अंशदान** (Subscription to National Savings Certificates VIII)

केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी बजट में अधिसूचित सरकारी बचत प्रमाण–पत्र अधिनियम, 1959 के तहत किसी प्रमाण पत्र के लिए अंशदान (अर्थात् राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (VIII निगर्मन) सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, 1959 के तहत निर्गमित होता है)।

(8) यूनिट लिंक्ड़ बीमा योजना 1971 **में योगदान** (Contribution in Unit-linked Insurance Plan 1971)

ULIP 1971 में व्यक्ति, जीवन साथी या अन्य बच्चे के नाम में योगदान HUF के मामले में किसी सदस्य के नाम में योगदान।

(9) LIC **के म्यूच्युअल फंड के** ULIP **में योगदान** (Contribution in Unit-linked Insurance Plan of LIC Mutual Fund)

व्यक्ति उसके जीवन साथी या बच्चों के नाम में LIC Mutual Fund के ULIP में अंशदान HUF के मामले में किसी सदस्य के नाम में योगदान।

(10) LIC की मान्यता प्राप्त वार्षिकी में अंशदान (Contribution to approved annuity plan of LIC)

केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा सरकारी बजट में मान्यता प्राप्त LIC की वार्षिकी योजना (New Jeevan धारा व जीवन अक्षय, न्यू जीवन धारा I व न्यू जीवन अक्षय I, II व III) या अन्य किसी बीमाकर्ता (TATA AIG सरल रिटायरमेंट योजना) में अंशदान।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(11) म्यूच्युअल फंड या U.T.I. **की अधिसूचित यूनिट्स में योगदन** (Subscription towards notified units of mutual fund or UTI)

म्यूच्युअल फंड की किन्हीं यूनिट्स या प्रशासक या किसी विशेष कम्पनी के केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई योजना के तहत अंशदान।

(12) म्यूच्युअल फंड या U.T.I **द्वारा अधिसूचित पेंशन फंड अंशदान** (Contribution to notified pension fund set up by mutual fund or UTI)

एक व्यक्ति द्वारा पेंशन फंड के अंशदान जो म्यूच्युअल फंड, प्रशासक या विशिष्ट कम्पनी द्वारा स्थापित हो तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित हो अर्थात विशिष्ट कम्पनी द्वारा [U.T.I रिटायरमेंट पेंशन जिसे U.T.I की धारा 2(h) के अधीन स्थापित किया गया है। (पेंशन फण्ड के रूप में उपक्रम का हस्तान्तरण और निरसन) अधिनियम 2002]

विशिष्ट कम्पनी से आशय कम्पनी अधिनियम, 1956[2] के तहत पंजीकृत या बनी हुई कम्पनी से है जिसकी समस्त पूँजी कम्पनी अधिनियम द्वारा पंजीकृत वित्तीय संस्थाओं के पास हो, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा हस्तांतरण एवं अधिकृत करने के उद्देश्य से सरकारी बजट में अधिसूचित किया गया हो।

प्रशासक से तात्पर्य केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्ति व्यक्ति या व्यक्यिों की संस्था से है। केन्द्र सरकार किसी विशिष्ट इकाई के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकती है जो केन्द्र सरकार की ओर से उसके प्रबन्ध का संचालन करता है।

"**निर्दिष्ट उपक्रम**" योजना से सम्बन्धित और वर्णित ट्रस्ट की सभी व्यवसायिक सम्पत्तियाँ, दायित्वों और जायदाद और विकसित रिजर्व फण्ड को शामिल करती हैं।

(13) राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक (कर–बचत) अवधि जमा योजना, 2008 [Contribution to National Housing Bank (Tax Saving) Term Deposit Scheme, 2008]

राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक (कर बचत) योजना 2018 की जमा योजना में अंशदान या राष्ट्रीय राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक द्वारा स्थापित पेंशन फंड जो हाउसिंग बैंक द्वारा स्थापित हो।

(14) अधिसूचित जमा योजना में अंशदान (Subscription to notified deposit scheme)

ऐसी किसी जमा योजना में अंशदान जो

- ऐसी सार्वजनिक कम्पनी जो भारत में रिहायशी मकानों के निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध करवाती है
- ऐसी कोई जमा योजना जो भारत में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अधिकरण द्वारा रिहायशी मकानों की जरूरत को पूरा करने के लिए शहरी व गाँवों के विकास नियोजन के उद्देश्य से स्थापित किए गए हों।

ऐसी योजना की अधिसूचना केन्द्र द्वारा जारी हो जैसे HUD CO की सार्वजनिक जमा योजना।

(15) भारत में किसी कॉलेज, विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थान में पूर्णकालिक शिक्षा हेतु अधिकतम 2 बच्चों की ट्यूशन फीस का भुगतान (Payment of tuition

[2] अब कम्पनी अधिनियम, 2013

© The Institute of Chartered Accountants of India

fees to any university, college, school or other educational institutions within India for full-time education for maximum 2 children)

करदाता द्वारा अपने 2 बच्चों की पूर्णकालीन शिक्षा के लिए भारत के किसी कॉलेज विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थानों की प्रवेश पर या बाद में ट्यूशन फीस का भुगतान। यह लाभ केवल पूर्णकालीन ट्यूशन फीस के लिए जिसमें किसी प्रकार की विकास फीस या ऐसे ही किसी भुगतान के सम्बन्ध में या भारत के बाहर स्थित संस्थान को भुगतान के सम्बन्ध में कटौती योग्य नहीं।

(16) हाउसिंग ऋण का पुनर्भुगतान जिसमें स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस व अन्य व्यय भी शामिल (Repayment of housing loan including stamp duty, registration fee and other expenses)

कोई भी भुगतान जो नये रिहायशी मकान के क्रय निर्माण के सम्बन्ध में हो ऐसी सम्पत्ति से आय

(i) ''मकान सम्पत्ति से आय'' के अन्तर्गत कर योग्य हो;

(ii) यदि करदाता स्वयं न रहता तो इसकी आय मकान सम्पत्ति शीर्षक में कर योग्य होती।

मान्यता प्राप्त भुगतानों के प्रकार निम्न है :

(a) किसी विकास अधिकरण, हाउसिंग बोर्ड या कोई अन्य एजेंसी जो मकानों के निर्माण व स्वामित्व के लिए विक्रय कार्यरत हो, के किसी योजनान्तर्गत किस्त भुगतान या देय राशि का आंशिक भुगतान; या

(b) किसी कम्पनी या कॉपरेटिव सोसाइटी जिसका कर दाता सदस्य हो, उसे आवंटित मकान की लागत की किस्तों या देय राशि का आंशिक भुगतान; या

(c) करदाता द्वारा निम्न से ऋण का पुनर्भुगतान :

  (i) केन्द्र सरकार या कोई राज्य सरकार;

  (ii) कोई बैंक जिसमें सहकारी बैंक शामिल है;

  (iii) जीवन बीमा निगम;

  (iv) राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक;

  (v) कोई सार्वजनिक कम्पनी जिसका पंजीयन एवं निर्माण भारत में रिहायशी मकान निर्माण हेतु दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था हेतु हुआ है तथा जो धारा 36 (1) (viii) अन्तर्गत कटौती की पात्र हो;

  (vi) कोई कम्पनी जिसमें जनता का सारवान हित हो या सहकारी समिति जो मकान निर्माण हेतु वित्त व्यवस्था में संलग्न हो;

  (vii) करदाता का नियोक्ता जहाँ ऐसा नियोक्ता कोई या निगम हो या अन्य कोई संस्था जिसका निर्माण केन्द्र या राज्य सरकार के कानून से हुआ हो;

  (viii) करदाता का नियोक्ता जहाँ ऐसा नियोक्ता सार्वजनिक कम्पनी, विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्थानीय निकाय या सहकारी समिति हो;

© The Institute of Chartered Accountants of India

(d) करदाता की ऐसे मकान के हस्तांतरण हेतु स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रेशन फीस व अन्य व्यय।

अस्वीकार्य व्यय (Inadmissible payments) : हालाँकि निम्न राशियाँ छूट के लिए स्वीकार्य नहीं हैं :

(A) प्रवेश फीस, अंशों की लागत व प्रारम्भिक जमा जो कम्पनी के अंशधारी या सहकारी संस्था के सदस्य द्वारा अंशधारी या सदस्य बनने के लिए भुगतान की गई राशि; या

(B) मकान सम्पत्ति के निर्माण के पश्चात या करदाता या अन्य किराएदार द्वारा मकान में निवास के पश्चात् या विस्तार, परिवर्तन पुनर्निर्माण या मरम्मत की लागत, या

(C) कोई अन्य व्यय जिसके सम्बन्ध में धारा 24 के अन्तर्गत कटौती स्वीकार्य हो।

(17) कुछ समता अंश या ऋण में अभिदान (Subscription to certain equity shares or debentures)

सार्वजनिक कम्पनी द्वारा किये गये आवेदन पर बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पूँजी के निर्गमन में समता अंश या ऋणपत्रों में अभिदान या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान द्वारा पात्र पूँजी निर्गमन में अभिदान जो निर्धारित फार्म में हो। ऐसे समता अंशों या ऋणपत्रों के सम्बन्ध में 3 वर्ष की परिबंधन अवधि दी गई है। इस अवधि के दौरान अंशों या ऋणपत्रों का हस्तांतरण करदाता की उस गत वर्ष की आय मानी जाएगी जिसमें हस्तांतरण या विक्रय किया गया है और उस गत वर्ष प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष में कर के लिए उत्तरदायी होगा।

उस तिथि को अंशों ऋणपत्रों की खरीद मानी जिस तिथि को करदाता का नाम सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट हुआ हो या ऋणपत्रधारियों के रजिस्टर में लिखा गया हो।

(18) कुछ म्यूच्युअल फण्ड की यूनिटस में अभिदान (Subscription to certain units of mutual fund)

म्यूच्युअल फण्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र के आधार पर बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त म्यूच्युअल फण्ड के यूनिट्स में अभिदान की राशि।

यह आवश्यक है कि ऐसी यूनिट्स में अभिदान केवल पात्रता प्राप्त कम्पनी के पूँजी निर्गम में ही होना चाहिए।

(19) पंचवर्षीय सावधि जमा में विनियोग (Investment in five year Term Deposit)

सावधि जमा में विनियोग

1. अनुसूचित बैंक में कम–से–कम 5 वर्ष की अवधि के लिए और
2. जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित व सरकारी बजट में अधिसूचित योजना के अनुरूप हो

तभी 80 C में कटौती योग्य विनियोग का पात्र होगा।

सावधि जमा में विनियोग की सीमा ₹ 1,50,000 है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अनुसूचित बैंक से तात्पर्य है :

(1) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत गठित S. B. I., या

(2) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सहायक बैंक अधिनियम, 1959) में परिभाषित सहायक बैंक, या

(3) तदनुरूपी नवीन बैंक जो धारा 3 के अन्तर्गत

(a) बैंकिंग कम्पनीज (संस्थानों के क्रय व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, या

(b) बैंकिंग कम्पनीज (क्रय व हस्तांतरण) अधिनियम, 1980, या

(4) अन्य कोई बैंक, जो RBI अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हो।

(20) NABARD **द्वारा निर्गमित अधिसूचित बोर्डों में अभिदान** (Subscription to notified bonds issued by NABARD)

नाबार्ड द्वारा निर्गमित ऐसे बोर्डों में अभिदान (केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी बजट में अधिसूचित) धारा 80C में कटौती योग्य है।

(21) **पोस्ट ऑफिस** 5 **वर्षीय सावधि जमा में विनियोग** (Investment in five year Post Office time deposit)

पोस्ट ऑफिस सावधि जमा नियम, 1981 के अनुरूप खाते में 5 वर्षीय सावधि जमा में विनियोग धारा 80C में कटौती योग्य है।

(22) **वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम,** 2004 **में जमा** (Deposit in Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004)

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 **के अन्तर्गत एक खाते में जमा** 80C **के अन्तर्गत कटौती योग्य है।**

(23) **NPS के तहत अतिरिक्त खातों में योगदान** (Contribution to additional account under NPS)

केन्द्र सरकार के कमर्चारी द्वारा NPS (निर्दिष्ट खाता) के तहत अतिरिक्त खाते में योगदान को धारा 80CCD में 3 वर्ष से कम की अवधि के लिए निर्दिष्ट किया गया है तथा जो इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के अनुसार है, धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि केवल NPS के तहत अतिरिक्त खाते में योगदान धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य होगा।

यहां दो प्रकार के NPS खाते हैं जो श्रेणी I और श्रेणी II जिसमें एक व्यक्ति योगदान कर सकता है।

(ii) **बीमा पॉलिसी या** ULIP **या मकान सम्पत्ति का हस्तांतरण या जमा की निकासी की समाप्ति** (Termination of Insurance Policy or Unit Linked Insurance Plan or transfer of House Property or withdrawal of deposit)

जहाँ किसी गत वर्ष में करदाता ने :

(i) बीमा अनुबन्ध जो (1) में संदर्भित है उसे नोटिस देकर या जहाँ प्रीमियम न भुगतान करने के कारण अनुबन्ध समाप्त हो गया हो,

© The Institute of Chartered Accountants of India

(a) एकल प्रीमियम पॉलिसी के मामले में बीमा के चालू होने के 2 वर्ष बाद

(b) अन्य मामलों में 2 वर्ष तक प्रीमियम भुगतान से पूर्व, या

(ii) ऊपर (8) व (9) में संदर्भित ULIP में सहभागिता समाप्त करता है, नोटिस देकर या अंशदान भुगतान न करके, ऐसी सहभागिता के 5 वर्ष पूर्व, या

(iii) ऊपर संदर्भित (16) की मकान सम्पत्ति का हस्तांतरण मकान खरीदने के वर्ष से 5 वर्ष पूर्व या ऐसी राशि को वापस प्राप्त करता है तब कर दाता को उन राशियों के सम्बन्ध में कोई कटौती प्राप्त नहीं होगी और गत वर्ष या वर्षों में प्रदत्त कटौती को कर दाता की उन गत वर्ष या वर्षों की आय मानकर प्रासंगिक कर–निर्धारण में कर योग्य माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त यदि करदाता अपने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना या पोस्ट ऑफिस सावधि जमा योजना खाते से 5 वर्ष पूर्व राशि निकाल लेता है तो ऐसे कर दाता की आय उस गत वर्ष में कर योग्य होगी जिसमें राशि निकाली जाती है। इसमें उस ब्याज की राशि भी शामिल है जो उस अवधि में उपार्जित हुई है।

हालांकि यदि प्राप्त या निकासी गयी ब्याज के सम्पत्ति का कोई भाग पिछले वर्षों में कर योग्य होता है तो उसे पुनः कर योग्य नहीं किया जाएगा।

यदि यही राशि नामांकित या वैधानिक उत्तराधिकारी को करदाता की मृत्युपरांत प्राप्त होती है तो ऐसी राशि कर योग्य न होगी। लेकिन यदि ब्याज की राशि कर दाता के पूर्व के वर्षों में शामिल नहीं हुई थी तो ब्याज की राशि कर योग्य होगी।

2.2. कुछ पेंशन फंडों में अंशदान के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80CCC] [Deduction in respect of contribution to certain pension funds (Section 80CCC)]

(i) योग्य निर्धारिती (Eligible Assessee) : जब एक निर्धारिती होने के नाते, LIC के किसी वार्षिकी योजना के लिए अनुबंध को प्रभाव में लाने के लिए या कोई अन्य बीमाकर्ता LIC द्वारा स्थापित फण्ड से पेंशन प्राप्त करने के लिए या कोई अन्य बीमाकर्ता कर के लिए प्रभार्य अपनी आय से किसी राशि का भुगतान या जमा करता है, उसे उसकी कुल आय की गणना में कटौती स्वीकृत की जाएगी।

इस उद्देश्य के लिए, निर्धारिती के खाते के लिए क्रेडिट या उपार्जित ब्याज या बोनस योगदान के रूप में संगणित नहीं किया जाएगा।

नोट : जहाँ निर्धारिती द्वारा कोई राशि भुगतान या जमा की जाती है इस धारा के उद्देश्य के लिए, धारा 80C के तहत उस राशि के सम्बन्ध में कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी।

(ii) अधिकतम कटौती (Maximum deduction) : अधिकतम कटौती की सीमा ₹ 1,50,000 (₹ 1,50,000 की 80CCE के अन्तर्गत निर्धारित सीमा जो 80C, 80CCC और 80CCD (1) सबको मिलाकर ₹ 150,000 जारी रहेगी)

(iii) मानी गयी आय (Deemed Income) : जब फण्ड में निर्धारिती के क्रेडिट में स्थित कोई राशि जिसके सम्बन्ध में कटौती स्वीकृत होती है, निर्धारिती के खाते के लिए जमा या उपार्जित बोनस या ब्याज सहित राशि निर्धारिती या उसके उत्तराधिकारी की वार्षिकी योजना से प्राप्त पेंशन के रूप में या किसी गत् वर्ष में वार्षिकी योजना के समर्पित होने पर

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्राप्त होती है, वह राशि उस गत् वर्ष में निर्धारिती या उत्तराधिकारी की आय मानी जाएगी जिसमें वह पेंशन प्राप्त या आहरित होती है। वह उस गत् वर्ष की आय के रूप में प्रभार्य होगी।

2.3 केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन फंड में अंशदान के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80CCD) [Deduction in respect of contribution to pension scheme notified by the Central Government (Section 80CCD)]

(i) केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना (Pension Scheme of Central Government) : ''पुनर्संगठित परिभाषित अंशदान पेंशन व्यवस्था'' के अनुरूप सरकारी सेवा में 1 जनवरी, 2004 या उसके पश्चात प्रवृष्टि लेने वालों को अपने वेतन का 10 % हर महीने अनिवार्य रूप से अपने पेंशन खाते में अंशदान करना होगा। इस खाते में बराबर की राशि सरकार देगी। इस योजना का लाभ किसी नियोक्ता या स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों को भी उपलब्ध है।

(ii) कटौती (Deduction) : धरा 80CCD में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन खाते में अंशदान पर कटौती देती है।

तदनुसार, धारा 80CCD(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने अटल पेंशन योजना अधिसूचित की जिसमें अंशदान एक व्यक्ति को 80CCD में कटौती योग्य होगा।

(iii) कटौती का परिमाण (Quantum of deduction)

(a) धारा 80CCD(1) नियोक्ता द्वारा उसके पेंशन खाते में जमा या भुगतान के लिए उसके वेतन की अधिकतम 10% तक की कटौती निर्दिष्ट करती है। स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए यह सीमा गत् वर्ष में सकल कुल आय के 20% तक प्रतिबंधित होगी।

धारा 80CCCD(1) की कटौती

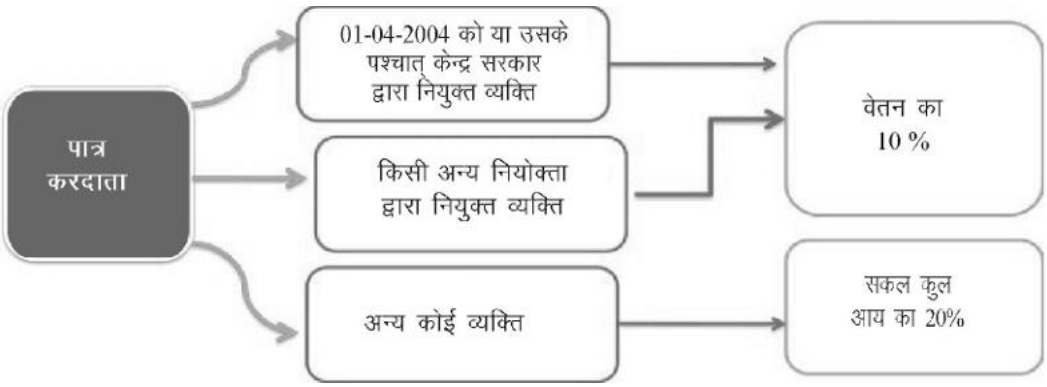

(b) धारा 80CCD(1B) के अन्तर्गत ₹ 50,000 तक की अतिरिक्त कटौती उन व्यक्ति करदाताओं को उपलब्ध होगी जो गतवर्ष के दौरान NPS में जमा कराते हैं चाहे 80 CCD(1) में कटौती देय हो या नहीं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(c) जबकि 80CCD(1) में कटौती 80CCE की कुल सीमा ₹ 1,50,000 तक है तथा 80 CCD(1B) की ₹ 50,000 की कटौती इस सीमा के अतिरिक्त है। 80CCE की कुल सीमा ₹ 1,50,000 तक है।

(d) धारा 80CCD(2) में केन्द्र सरकार या अन्य नियोक्ता का अंशदान गत वर्ष में करदाता की कुल आय की गणना करने में कटौती योग्य होगा।

(e) नियोक्ता का पूर्ण योगदान कर्मचारी के वेतन में शामिल होगा। हालांकि, धारा 80CCD(2) के अन्तर्गत कटौती वेतन के 14% तक सीमित होगी, यदि योगदान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा और वेतन के 10% तक सीमित होगा, यदि योगदान किसी अन्य कर्मचारी द्वारा किया जाएगा।

नोट :

(1) **धारा 80CCE अन्तर्गत** ₹ 150,000 की सीमा नियोक्ता अंशदान के सम्बन्ध में लागू नहीं है। केन्द्र सरकार की पेंशन योजना धारा 80CCD(2) के अधीन है।

(2) निर्धारिती द्वारा जमा या भुगतान के सम्बन्ध में धारा 80C के तहत कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी, जिसके लिए धारा 80CCD (±B) के तहत या धारा 80CCD(1) के तहत कटौती स्वीकृत होती है।

(iv) मानी गयी आय (Deemed Income) : करदाता के पेंशन खाते की राशि जिसके लिए उसने इस धारा अन्तर्गत छूट प्राप्त की है तथा इस खाते में वृद्धि को उस वर्ष में कर योग्य किया जाएगा जिसमें यह राशि करदाता उसके नामित को मिलेगी–

(a) खाता बन्द करने पर या

(b) योजना को छोड़ने पर या

(c) योजना के बन्द होने या छोड़ने पर प्राप्त वार्षिकी से पेंशन की राशि लेकिन, करदाता की मृत्यु होने पर नामित को उपर्युक्त (a) व (b) की परिस्थितियों में प्राप्ति नामिति की आय नहीं मानी जाएगी।

आगे, यदि उसी वर्ष में उक्त राशि से वार्षिकी योजना क्रय कर ली जाए तो करदाता को प्राप्त राशि को प्राप्ति नहीं माना जाएगा।

नोटस :

1 **कर्मचारी को उसका खाता बन्द होने या पेंशन योजना को छोड़ने पर** NPS **ट्रस्ट से भुगतान प्राप्ति पर छूट** [धारा 10(12A)]

(i) धारा 80CCD के अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन ट्रस्ट से खाता बन्द करने या पेंशन योजना का त्याग करने पर प्राप्त राशि करयोग्य होगी।

(ii) धारा 10(12A) में यह व्यवस्था है कि कर्मचारी को खाता बन्द करने या राष्ट्रीय पेंशन योजना को त्याग करने पर जो 80CCD में संदर्भित है, यदि कुल प्राप्त राशि के 60 % से अधिक न हो तो ऐसी राशि कर मुक्त होगी।

2. **NPS ट्रस्ट से भुगतान पर कर्मचारी द्वारा आंशिक निकासी पर छूट** [धारा 10(12B]

© The Institute of Chartered Accountants of India

To provide relief to an employee subscriber of NPS, section 10(12B) provides that any payment from National Pension System Trust **to an employee** under the pension scheme referred to in section 80CCD, on partial withdrawn made out of his account in accordance with the terms and conditions specified under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 and the regulations made there under, shall be exempt from tax to the extent it does not exceed 25% of amount of contribution made by him.

2.4. धाराओं 80C, 80CCC व 80CCD (1) के तहत छूट की सीमा [धारा 80CCE]
[Limit on deductions under sections 80C, 80CCC and 80CCD(1) (Section 80CCE)]

यह धारा 80C, 80CCC और 80,CCD (1) के तहत, कटौती की कुल राशि ₹ 1,50,000 तक सीमित होती है। यह ध्यान दिया जाता है कि धारा 80CCD(IB) के तहत ₹ 50,000 तक कटौती और पेंशन में नियोक्ता का अंशदान, कर्मचारी के लिए धारा 80CCD(2) के तहत, धारा 80CCE के तहत निर्दिष्ट सीमा ₹ 1,50,000 से अधिक होने पर, कटौती के रूप में स्वीकृत होगा।

निम्नलिखित सारणी विभिन्न सीमाओं को संक्षेप में दर्शाती है :

धारा	विवरण	कटौती सीमा (₹)
80C	LIP में निवेश, PPF/SPF/RPF में जमा	1,50,000
80CCC	कुछ पेंशन कोषों में अंशदान	1,50,000
80CCD (1)	सरकारी NPS में अंशदान	वेतन का 10% या सकल कुल आय का 20 % (जैसा भी मामला हो)
80CCE	धारा 80C, 80CCC व 80CCD (1) के अन्तर्गत समग्र कटौती	1,50,000
80CCD (1B)	केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित NPS में अंशदान 80CCE के अन्तर्गत (₹ 1,50,000 की सीमा के अतिरिक्त)	50,000
80 CCD (2)	**अपने कर्मचारी के लिए NPS खाते के लिए केन्द्र सरकार द्वारा योगदान (धारा 80CCE के तहत ₹ 1,50,000 की सीमा के बाहर)**	वेतन का 14%
	नियोक्ता द्वारा NPS में अंशदान (₹ 1,50,000 की 80 CCE की सीमा के अतिरिक्त)	वेतन का 10%

नोट : धारा 80CCD (1) और (2) के तहत सीमा की गणना के लिए, वेतन में महँगाई भत्ता सम्मिलित होता है यदि रोजगार की शर्तें ऐसा निर्धारित करती हैं, लेकिन अन्य सभी भत्तों और अनुलाभों को शामिल नहीं किया जाता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण (Illustration) 4

A का मूल वेतन ₹ 1,00,000 प्रतिमाह है। महँगाई भत्ता मूल वेतन का 40% है। महँगाई भत्ते का 50% रिटायरमेंट लाभों के लिए वेतन का हिस्सा माना जाता है। A व उसका नियोक्ता दोनों 80 CCD के अनुरूप पेंशन योजना में वेतन का 15% अंशदान करते हैं। A से सम्बन्धित कर सम्बन्धी व्यवहार का वर्णन करें।

हल (Solution)

A व नियोक्ता के अंशदान सम्बन्धी 80CCD की पेंशन योजना में जमा का कर–व्यवहार (Tax treatment in the hands of Mr.A in respect of employer's and own contribution to pension scheme referred to in section 80CCD)

(a) पेंशन योजना में नियोक्ता के अंशदान को वेतन माना जाएगा क्योंकि धारा 17 (i) (viii) में यह वेतन में शामिल योग्य है। अतः ₹ 18,00,000 का 15% अर्थात् ₹ 1,20,000 A के वेतन में शामिल होगा।

(b) A का पेंशन योजना में अंशदान धारा 80CCD (1) में कटौती योग्य है लेकिन कटौती की सीमा 10% है। वेतन का अर्थ है मूल वेतन + महँगाई भत्ता यदि वह वेतन का कुछ भाग होता है।

अतः A की 80 CCD के अन्तर्गत वेतन की कटौती निम्न, प्रकार होगी–

विवरण	₹
मूल वेतन = ₹ 1,00,000 × 12	12,00,000
महँगाई भत्ता = 12, 00,000 का 40% = ₹ 4,80,000	
50 % भुगतान किया गया महँगाई भत्ते का भाग = 50 % × ₹ 4,80,000	2,40,000
80 CCD के अन्तर्गत कटौती हेतु वेतन	14,40,000
80 CCD (1) के अन्तर्गत कटौती की सीमा 10% × ₹ 14, 40,000	1,44,000
(वेतन का 15 % अर्थात् ₹ 1,80,000)	
80CCD (1B) के अन्तर्गत ₹ 50,000 की अतिरिक्त कटौती स्वीकार्य है। अतः 80CCD (1B) में कटौती की राशि	
= ₹ 1,80,000 – ₹ 1,44,000) = ₹ 36,000	36,0000

80CCD(1) में स्वीकृत कटौती ₹ 1,44,000 है। यह 80CCE की सीमा के अन्दर है। 80CCD(1B) के अन्तर्गत ₹ 36,000 की स्वीकृत कटौती 80CCE के अन्तर्गत ₹ 1,50,000 की कटौती 80CCE के अन्तर्गत ₹ 1,50,000 की सीमा से बाहर है। विकल्प के तौर पर ₹ 50,000 की कटौती 80CCD(1B) के अन्तर्गत है। शेष ₹ 1,30,000 (1,80,000–1,50,000) 80CCD (1) के अन्तर्गत कटौती योग्य हो सकते हैं।

(c) पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान धारा 80CCD(2) में कटौती योग्य होगा जो वेतन 10% तक का अधिकतम है। अतः 80CCD(2) में कटौती योग्य राशि ₹ 14,4,000 होगी जबकि

© The Institute of Chartered Accountants of India

₹ 180,000 अंशदान धारा 17 (1) (viii) में वेतन शामिल होगा। लेकिन ₹ 1,44,000 की कटौती ₹ 1,44,000 की सीमा के बाहर होगी क्योंकि 80CCE की यह कटौती अन्य कटौतियों के अतिरिक्त होगी जिसकी सीमा भी ₹ 1,50,000 ही होगी।

उदाहरण (Illustration) 5

X की सकल कुल आय A.Y. 2020-21 के लिए ₹ 5 लाख है। उसने वित्त वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित भुगतान निवेश किए हैं :

	विवरण	₹
(1)	*PPF में अंशदान*	*1,10,000*
(2)	*अपने पुत्र की A PJ School नई दिल्ली की ट्यूशन फीस XI कक्षा की भुगतान*	*45,000*
(3)	*Standard Chartered Bank (SCB) से हाउसिंग ऋण का भुगतान*	*25,000*
(4)	*LIC के मान्यता प्राप्त पेंशन फंड में अंशदान*	*1,05,000*

अध्याय-VI-A के अन्तर्गत A.Y. 2020-21 के लिए कटौती की गणना कीजिए।

अध्याय VI में हल (Solution)

A.Y. 2020-21 के लिए कटौती योग्य राशि की गणना

	विवरण	₹
(1)	PPF में अंशदान	1, 10,000
(2)	पुत्र के APJ स्कूल नई दिल्ली के ट्यूशन फीस XI कक्षा का भुगतान	45,000
(3)	मकान ऋण का भुगतान	25,000
		1,80,000
धारा 80C की सीमा तक स्वीकार योग्य ₹ 1,50,000		1,50,000
धारा 80CCC अन्तर्गत कटौती		
(4)	LIC के पेंशन फंड में स्वीकृत अंशदान	1,05,000
		2,55,000
धारा 80 CCE अन्तर्गत धारा 80C,80CCC व 80CCD (1) तीनों की अधिकतम सीमा, ₹ 1,50,000		
A.Y. 2020-21 में स्वीकार योग्य अध्याय VIA की कटौती		**1,50,000**

© The Institute of Chartered Accountants of India

2.5. चिकित्सा बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80D] [Deduction in respect of medical insurance premium (Section 80D)]

1. एक व्यक्ति के मामले में (In case of an Individual)

(i) परिवार के लिए बीमा प्रीमियम भुगतान के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in respect of Insurance premium paid for family) : ₹ 25,000 की कटौती निम्न भुगतानों के सम्बन्ध में स्वीकार योग्य है :

(1) स्वयं जीवन साथी या आश्रित बच्चों की चिकित्सा बीमा पॉलिसी कराने या चालू रखने के लिए प्रीमियम का भुगातन

(2) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना में किए गए अंशदान के लिए या

(3) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना केन्द्र सरकार ने अंशदान स्वास्थ्य सेवा योजना अन्तरिक्ष विभाग द्वारा अधिसूचित की गई हैं।

(ii) अभिभावक के लिए बीमा प्रीमियम भुगतान के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in respect of Insurance premium for parents) : इसके अतिरिक्त ₹ 25,000 की कटौती स्वीकृत होगी। करदाता के माँ–बाप के स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने या जारी रखने के लिए

वरिष्ठ नागरिक के मामले में कटौती का परिमाण : **₹ 50,000** (₹ 25,000 के स्थान पर) की बढ़ी हुई कटौती उल्लिखित किसी भी व्यक्ति के मामले में, जो **वरिष्ठ नागरिक** होता है, अधिक की आयु का भारत में निवासी एक व्यक्ति।

(iii) निवारक स्वास्थ्य जाँच के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in respect of payment towards preventive health check-up) : धरा 80D के अन्तर्गत चिकित्सा जाँच के लिए अतिरिक्त ₹ 5,000 की अतिरिक्त कटौती स्वीकृत होगी बशर्ते कि ऐसी जाँच स्वयं जीवन साथी, आश्रित बच्चों या माँ बाप की चिकित्सा जाँच के लिए भुगतान किया गया हो लेकिन ऊपर दिये गये (i) और (ii) में निर्दिष्ट ₹ 5,000 की अतिरिक्त कटौती ₹ 25,000 या ₹ 50,000 की सीमा के अन्तर्गत ही होगी।

(iv) भुगतान के प्रकार (Mode of payment) धारा 80D के अन्तर्गत कटौती के दावे के लिए भुगतान होगा –

(1) किसी भी विधि से जिसमें नकद भुगतान भी शामिल है, चिकित्सा जाँच के लिए।

(2) अन्य मामलों में नकद के अलावा अन्य किसी विधि से।

(v) वरिष्ठ नागरिक पर व्ययित चिकित्सा व्ययों के लिए कटौती (Deduction for medical expenditure incurred on senior citizen) : वरिष्ठ नागरिक पर कल्याण के रूप में अर्थात् भारत में निवासी और 60 वर्ष या अधिक की आयु का व्यक्ति, जो स्वास्थ्य बीमा लेने में असमर्थ होता है, उस व्यक्ति के सम्बन्ध में चिकित्सा व्ययों के लिए किये गये भुगतान के सम्बन्ध में ₹ 50,000 तक कटौती स्वीकृत होगी, यदि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव में बीमा के लिए कोई भुगतान न किया गया है।

वरिष्ठ नागरिक से आशय भारत में निवासी एक व्यक्ति से है जो, प्रासंगिक गत् वर्ष के दौरान किसी भी वर्ष में 60 या उससे अधिक की उम्र का होता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

2. H.U.F के मामले में (In case of a HUF)

परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य के बीमे के सम्बन्ध में भुगतान की कटौती धारा 80D में स्वीकृत होगी। अधिकतम कटौती की सीमा ₹ 25,000 तथा यदि कोई सदस्य वरिष्ठ नागारिक हो तो **₹ 50,000** होगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी।

आगें, परिवार के किसी सदस्य, जो निवासी वरिष्ठ नागरिक हों, के स्वास्थ्य पर व्यथित चिकित्सा व्ययों के आधार पर भुगतान की राशि अधिकतम **₹ 50,000** तक कटौती के लिए योग्य होगा बशर्ते कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव में बीमा के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है।

3. अन्य शर्तें (Other conditions)

कटौती के लिए अन्य शर्तें हैं कि प्रीमियम का भुगतान कर योग्य आय में से नकद के अलावा अन्य किसी विधि से होना चाहिए। जो गत वर्ष की कर योग्य आय में शामिल नहीं हो। इसके अतिरिक्त चिकित्सा बीमा निम्न में से किसी की ओर से निर्मित योजना अनुसार होना चाहिए–

(a) भारतीय सामान्य बीमा निगम के द्वारा तथा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त; या

(b) अन्य किसी बीमाकर्ता के द्वारा तथा बीमा नियामक एवं विकास अधिकरण से मान्यता प्राप्त

निम्नलिखित सांख्यिकी 80D के प्रावधानों का सारांश प्रस्तुत करती है :

क्रम सं.	भुगतान व्यय की प्रकृति	व्यय किसकी ओर से		कटौती
I.	(i) स्वास्थ्य बीमा को चालू रखने के लिए नकद के अलावा अन्य किसी विधि से	व्यक्ति की दशा में	स्वयं जीवन साथी व आश्रित बच्चे	₹ 25,000
		HUF की दशा में	परिवार सदस्य	
	(ii) केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) में अंश दान	यदि इनमें से कोई व्यक्ति 60 वर्ष या अधिक का हो तो + भारत में निवासी		₹ 50,000
	(iii) निवारक स्वास्थ्य जाँच व्यय			
II	(i) स्वास्थ्य बीमा चालू रखने के लिए नकद के अलावा अन्य किसी विधि से प्रीमियम भुगतान	माँ–बाप उस दशा में जब एक या दोनों 60 वर्ष दो अधिक उम्र के हों + भारत में निवासी		₹ 25,000
	(ii) निवारक हेतु स्वास्थ्य जाँच			₹ 50,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

	सग्रम निवारक स्वास्थ्य जाँच हेतु I व II में वर्णित व्यय (₹ 25,000 वे ₹ 50,000 की सीमा के साथ) के लिए ₹ 5,000 की कटौती।		
III	चिकित्सा व्यय हेतु भुगतान राशि	स्वयं/जीवन साथी/ माँ बाप + जो 60 वर्ष या अधिक के हैं तथा + स्वास्थ्य बीमा के चालू रखने के लिए कोई भुगतान नहीं	₹ 50,000

नोट : उस दशा में जब परिवार का कोई सदस्य वरिष्ठ नागरिक हो तो प्रीमियम, CGHS में अंशदान व चिकित्सा व्यय जो I & III में विनिर्दिष्ट है, के सम्बन्ध में कटौती ₹ 50,000 से अधिक न होगी।

यदि माता–पिता में से कोई वरिष्ठ नागरिक होता है जो कि मेड़ीक्लेम पॉलिसी के तहत आता है और दूसरा भी वरिष्ठ नागरिक होता है जो कि मेड़ीक्लेम पॉलिसी के तहत नहीं आता है तो चिकित्सा बीमा प्रीमियम और चिकित्सा व्ययों, के सम्बन्ध में किये गये भुगतान पर कटौती का योग उपयुक्त (ii) और (iii) में निर्दिष्ट, ₹ 50,000 से अधिक नहीं हो सकती है।

4. कटौती जहाँ स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान एकमुश्त होता है [धारा 80D(4A)] [Deduction where premium for health insurance is paid in lump-sum] [Section 80D (4A)]:

(i) कटौती के रूप में स्वीकृत एकमुश्त प्रीमियम का उचित अंश [Appropriate fraction of lump sum premium allowable as deduction] : उस मामले में जहाँ निम्न के द्वारा एक से अधिक वर्ष के लिए मेड़ीक्लेम प्रीमियम का भुगतान एकमुश्त होता है :

(a) एक व्यक्ति, अपने स्वास्थ्य या अपने जीवनसाथी, निर्भर बच्चे या माता–पिता के स्वास्थ्य पर बीमा को प्रभाव में लाने या रखने के लिए, या

(b) एक HUF, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर बीमा को प्रभाव में लाने या रखने के लिए, तो इस धारा के तहत प्रत्येक गत् वर्ष के लिए स्वीकृत कटौती उस एकमुश्त भुगतान के उचित अंश के बराबर होगी।

(ii) कुछ शब्दों की अर्थ (Meaning of certain terms)

शब्द	अर्थ
उचित अंश	1 ÷ प्रासंगिक गत् वर्षों की कुल संख्या
प्रासंगिक गत् वर्ष	गत् वर्ष जिसमें एकमुश्त राशि का भुगतान होता है, और आने वाले गत् वर्षों के दौरान जिसके दौरान बीमा प्रभावित होता है।

उदाहरण (Illustration) 6

40 वर्ष के A ने P.Y 2019-20 में ₹ 20,000 का चिकित्सा बीमा प्रीमियम अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किया। उसने अपने पिता जिनकी उम्र 65 वर्ष है, की चिकित्सा बीमा प्रीमियम ₹ 47,000 भुगतान किए। जो उस पर आश्रित नहीं है। वर्ष के दौरान CGHS में ₹ 3,600 का अंशदान किया। उसने चिकित्सा जाँच पर अपने व पत्नी के लिए ₹ 3,000 व ₹ 4,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

अपने पिता जी के लिए चेक से दिए। 80D के अन्तर्गत A.Y. 2020-21 की कटौती की गणना कीजिए।

हल (Solution)

A.Y. 2020-21 के लिए 80D की कटौती

	विवरण	वास्तविक भुगतान	अधिकतम कटौती ₹
A.	**स्वयं व पत्नी हेतु प्रीमियम व चिकित्सा**		
(i)	स्वयं व पत्नी के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम भुगतान	20,000	20,000
(ii)	CGHS में अंशदान	3,600	3,600
(iii)	स्वयं व पत्नी की स्वास्थ्य जाँच	3,000	1400
		26,600	**2,5,000**
B.	**पिता जो वरिष्ठ नागारिक हैं, के लिए चिकित्सा बीमा व चिकित्सा व्यय**		
(i)	पिता के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान	47,000	47,000
(ii)	पिता की स्वास्थ्य जाँच पर व्यय	4,000	3,000
		51,000	**50,000**
	80D के अन्तर्गत कुल कटौती (₹ 25,000 + ₹ 50,000)		75,000

नोट्स :

(1) ऊपर A (i), (ii), (iii) के अन्तर्गत कुल कटौती ₹ 25,000 से अधिक नहीं हो सकती। स्वास्थ्य जाँच स्वयं व पत्नी के लिए ₹ 1,400 (₹ 25,000 – ₹ 20,000 – ₹ 3,600) तक सीमित है।

(2) ऊपर B (i) व (ii) के अन्दर कुल कटौती ₹ 50,000 से अधिक नहीं। अतः पिता की स्वास्थ्य जाँच पर की सीमा ₹ 3,000 (₹ 50,000 – ₹ 47,000) होगी।

(3) इस मामले में स्वास्थ्य जाँच स्वयं, पत्नी व पिता के लिए कुल व्यय ₹ 4,400 (अर्थात् ₹ 1,400 + ₹ 3,000) होगी जो निर्धारित सीमा ₹ 5,000 के अन्दर है।

उदाहरण (Illustration) 7

40 वर्ष के श्री Y ने 2019-20 में स्वयं, पत्नी आश्रित बच्चों के चिकित्सा बीमा प्रीमियम ₹ 22,000 का भुगतान किया। उसी वर्ष के दौरान अपनी माता के चिकित्सा बीमा प्रीमियम ₹ 33,000 का भुगतान किया जिनकी उम्र 67 वर्ष है। जो उस पर आश्रित नहीं है और पिता के चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए ₹ 20,000 का भुगतान किया। जो अन्य किसी से बीमित नहीं हैं। CGHS में ₹ 6,000 का अंशदान किया A.Y 2020-21 के लिए 80D में स्वीकार योग्य कटौती की गणना कीजिए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	विवरण		₹
1.	स्वयं पत्नी व आश्रित बच्चों के चिकित्सा के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान	22,000	
2.	CGHS में अंशदान	6,000	
		28,000	
	अधिकतम सीमा		25,000
3.	60 वर्ष से अधिक उम्र की माता के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम	33,000	
4.	पिता के लिए किये गए चिकित्सा व्यय जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है जो बीमा द्वारा बीमित नहीं है	20,000	
		53,000	
	अधिकतम सीमा		50,000
			75,000

2.6 आश्रित दिव्यांग के रख–रखाव तथा चिकित्सा के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80DD) [Deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent disabled (Section 80DD)]

(i) **योग्य करदाता** (Eligible assessee) : एक करदाता को धारा 80DD के अन्तर्गत दी गयी कटौती जो भारत में निवासी हो तथा व्यक्ति या HUF हो

(ii) **कटौती के लिए योग्य भुगतान** (Payments qualifying for deduction)

(a) कोई राशि

— जो आश्रित दिव्यांग के प्रशिक्षण, चिकित्सा या पुनर्वास हेतु

— LIC या किसी अन्य बीमक या प्रशासक या अन्य विशिष्ट कम्पनी जो U.T.I. की धारा 2(h) से संदर्भित (संस्थान हस्तांतरण व समाप्ति) अधिनियम, 2001 के द्वारा किसी योजना के अन्तर्गत किसी आश्रित दिव्यांग के भरण–पोषण हेतु भुगतान या जमा की हो वह कटौती योग्य 80 DD के तहत होगी।

कटौती के योग्य।

(b) इस योजना के तहत दिव्यांग आश्रित के कल्याण हेतु वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान की व्यवस्था हो तथा व्यक्ति या HUF के सदस्य की मृत्यु होने पर जिसके नाम में अभिदान किया गया था, उसे या तो आश्रित दिव्यांग को या किसी अन्य व्यक्ति को दिव्यांग की ओर से नामित करना चाहिए।

(c) इस धारा के अन्तर्गत कटौती का लाभ उन करदाताओं को भी उपलब्ध होगा जिन्होंने Autism, cerebral Palsy या बहु–दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति के चिकित्सा और रखरखाव लिए व्यय किया हो।

(iii) **कटौती की मात्रा** (Quantum of deduction) : कटौती की मात्रा ₹ 75,000 होगी और गंभीर दिव्यांगता की दशा में (80 % या अधिक दिव्यांगता) कटौती ₹ 1,25,000 होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iv) **शर्तें** (Conditions)

(a) कटौती का दावा करने के लिए करदाता को चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र (समान अवसर अधिकार सुरक्षा व सहभागिता अधिनियम, 1995 के तहत आयकर रिटर्न धारा 139 के अन्तर्गत होगा।

(b) जहाँ दिव्यांगता के पुनः निर्धारण की आवश्यकता हो तो मूल प्रमाण पत्र के प्रदत्त अवधि के पूरा होने पर कटौती के जारी रखने के लिए चिकित्सा अधिकारी पुनः प्रस्तुत करना होगा।

(c) यदि निर्भर विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति, पूर्वमृत्यु वाला व्यक्ति या HUF का कोई सदस्य जिसके नाम पर अंशदान होता है, तो इस योजना के तहत जमा या भुगतान की गयी राशि उस गत् वर्ष में निर्धारिती के लिए कर के लिए प्रभार्य होगी जिसमें वह राशि निर्धारिती द्वारा प्राप्त होती है।

(v) **''आश्रित'' का अर्थ** (Meaning of ``Dependant'') :

	करदाता	आश्रित
(1)	व्यक्ति	जीवन साथी, बच्चे माँ–बाप या व्यक्ति के भाई–बहिन जो ऐसे व्यक्ति पर पूर्ण या मुख्य रूप से आश्रित हों तथा उसने अपनी आय की गणना के लिए 80 U के अन्तर्गत कटौती न प्राप्त की हो।
(2)	HUF	HUF का सदस्य, HUF पर पूर्णतः या मुख्यतः निर्भर हो तथा आय की गणना में 80U की कटौती का दावा न किया हो।

उदाहरण (Illustration) 8

X एक निवासी व्यक्ति है। वह प्रति वर्ष LIC में ₹ 50,000 अपने दादा के भरण–पोषण हेतु जमा करते हैं, जो उन पर पूर्णतः आश्रित हैं। दिव्यांगता दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर अधिकार सुरक्षा व पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के तहत है। चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है। 80 DD के अन्तर्गत A.Y 2020-21 के लिए कटौती की गणना कीजिए।

हल (Solution)

X ने जमा राशि अपने दादा के लिए की है, उसे 80DD की कटौती नहीं मिलेगी। यह कटौती आश्रित दिव्यांग सम्बन्धी के लिए किये गये व्यय के सम्बन्ध में मिलती है। इस श्रेणी में दादा नहीं आते।

उदाहरण (Illustration) 9

X को कितनी कटौती मिलेगी यदि राशि जमा अपने पिता के लिए करें तो?

हल (Solution)

क्योंकि व्यय आश्रित दिव्यांग सम्बन्धी हेतु किया गया है अतः धारा 80DD के अन्तर्गत कटौती की राशि ₹ 75,000 मिलेगी व्यय की राशि को ध्यान में न रखे बिना पिता को गंभीर दिव्यांगता की दशा में कटौती ₹ 1,25,000 होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

2.7. इलाज इत्यादि के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80 DDB) [Deduction in respect of medical treatment etc. (Section 80DDB)]

(i) **योग्य करदाता** (Eligible assessee) : यह कटौती भारत में निवासी व्यक्ति HUF को प्राप्त होगी। व्यक्ति अपने या आश्रित के चिकित्सा व्यय के लिए कटौती प्राप्त कर सकता है। यह कटौती HUF को उसके किसी सदस्य पर किए गए व्यय के लिए भी मिलेगी।

(ii) **''आश्रित'' का अर्थ** (Meaning of ``Independent") :

	करदाता	आश्रित
(1)	व्यक्ति	जीवन साथी, बच्चे–माँ–बाप तथा बहिन–भाई जो व्यक्ति पर सहायता व भरण–पोषण हेतु पूर्णतः या मुख्यतः निर्भर हैं।
(2)	HUF	HUF का सदस्य, ऐसे HUF पर पूर्णतः या मुख्यतः सहायता या भरण पोषण के लिए निर्भर हैं।

(iii) **कटौती योग्य भुगतान** (Payment qualifying for deduction) : बोर्ड द्वारा स्वयं व आश्रित के इलाज पर व्यय की गई राशि जिन बीमारियों को नियमों में निर्दिष्ट हों, कटौती योग्य होगी। एक व्यक्ति करदाता HUF का कोई सदस्य, करदाता और HUF भी इस कटौती योग्य है।

(iv) **कटौती की मात्रा** (Quantum of deduction) : इस धारा के अन्तर्गत कटौती की मात्रा वास्तविक व्यय या ₹ 40,000 जो कम हो, उस गतवर्ष के लिए स्वीकृत होगी जिसमें व्यय किया गया हो।

यदि व्यय वरिष्ठ नागरिक के सम्बन्ध में किया हो जो भारत का निवासी हो जिसका उम्र 60 या अधिक हो उसे कटौती की राशि वास्तविक व्यय या ₹ 1,00,000 जो दोनों में से कम हों।

(v) **अधिकतम कटौती** (Maximum deduction) : विभिन्न श्रेणी के आश्रितों के लिए 80DDB की अधिकतम कटौती संक्षेप में आगे दी गई है।

	आश्रित	अधिकतम सीमा (₹)
(1)	एक अति–वरिष्ठ नागरिक भारतीय निवासी	1,00,000
(2)	वरिष्ठ नागरिक के अलावा	40,000

(vi) **शर्त** (Condition) : ऐसी कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी जब तक निर्धारिती ऐसे चिकित्सा उपचार के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक आनकोलोजिस्ट, एक यूरोलोजिस्ट, एक हेमाटोलोजिस्ट, एक इम्यूनोलोजिस्ट या ऐसे अन्य विशेषज्ञ, जैसा भी निर्धारित हो, निर्देश नहीं लेता।

© The Institute of Chartered Accountants of India

2.8. उच्चतर शिक्षा ऋण पर ब्याज के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80 E) [Deduction in respect of interest loan taken for higher education (Section 80E)]

(i) **पात्र करदाता** (Eligible assessee) : धारा 80E करदाता व्यक्ति में निर्दिष्ट द्वारा गत वर्ष में भुगतान ऋण के ब्याज के सम्बन्ध में छूट प्रदान करती है। जो उसने अपनी कर योग्य आय से चुकाया हो।

(ii) **शर्तें** (Conditions) : ऋण को स्वयं या अपने सम्बन्धी की उच्चतर शिक्षा के उद्देश्य से लिया हो। ऋण को किसी वित्तीय संस्था या धर्मार्थ संस्था से लिया हो।

(iii) **सम्बन्धी का अर्थ** (Meaning of Relative) : व्यक्ति का जीवन साथी, बच्चे या कोई विद्यार्थी जिसका व्यक्ति वैधानिक संरक्षक हो।

(iv) **उच्चतर शिक्षा का अर्थ** (Meaning of ``Higher education'') : वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या अन्य कोई समकक्ष किसी विद्यालय, बोर्ड विश्वविद्यालय या अन्य किसी राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता व अधिकरण से उत्तीर्ण करने के पश्चात् किसी भी विषय के कोर्स वोकेशन कोर्स सहित में अध्ययन हेतु अतः XIIth कक्षा के पश्चात् या समकक्ष परीक्षा के पश्चात् किसी भी कोर्स के लिए ऋण 80 E के अन्तर्गत कटौती योग्य होगा।

(v) **कटौती की अवधि** (Period of deduction) : कुल आय की गणना में कटौती सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष (उस गत वर्ष से सम्बन्धित जिसमें करदाता ने ऋण पर ब्याज देना शुरू किया हो) से 7 कर–निर्धारण वर्षों तक या जब पूरा भुगतान कर दिया जाए, जो पहले हो।

(vi) **अनुमोदित धर्मार्थ संस्था का अर्थ** (Meaning of Approved Charitable institution) : वह संस्था जो धर्मार्थ उद्देश्य के लिए निर्धारित प्राधिकरण[3] से अधिकृत हो या धारा 80G (2) (a) में संदर्भित A द्वारा अनुमोदित हो।

(vii) **वित्तीय संस्था का अर्थ** (Meaning of "Financial institution): इसका अर्थ है

(1) एक बैंकिंग कम्पनी जिस पर बैंकिंग रेग्यूलेशन अधिनियम, 1949 लागू होता हो (अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित बैंक या बैंकिंग संस्था इसमें शामिल है; या

(2) अन्य कोई संस्था जिसे केन्द्र सरकार या सरकारी बजट में सूचित किया गया हो इस आधार पर निर्दिष्ट हो –

उदाहरण (Illustration) 10

B ने 1अप्रैल, 2019 को तीन शिक्षा ऋण लिए हैं जिनका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है :

	ऋण 1	*ऋण 2*	*ऋण 3*
जिसकी शिक्षा हेतु ऋण लिया गया	*B*	*B का पुत्र*	*B की पुत्री*
ऋण का उद्देश्य	*MBA*	*B.Sc.*	*B.A.*
ऋण की राशि	*5,00,000*	*2,00,000*	*4,00,000*
ऋण का वार्षिक पुनर्भुगतान	*1,00,000*	*40,000*	*80,000*
ब्याज का वार्षिक पुनर्भुगतान	*20,000*	*10,000*	*18,000*

80E के अन्तर्गत A.Y. 2020-21 के लिए कटौती राशि की गणना कीजिए।

[3] धारा 10(23C) के अन्तर्गत

© The Institute of Chartered Accountants of India

हल (Solution)

80E के अन्तर्गत एक करदाता को गत वर्ष में उसके बच्चों व जीवन साथी को उच्चतर शिक्षा के सम्बन्ध में ऋण पर ब्याज कटौती योग्य है। उच्चतर शिक्षा का अर्थ है सीनियर माध्यमिक परीक्षा के बाद किसी भी कोर्स का अध्ययन। अतः समस्त ऋणों के पुनर्भुगतान कटौती योग्य होंगे।

80 E के अन्दर कटौती = ₹ 20,000 + ₹ 10,000 + ₹ 18,000 = ₹ 48,000

2.9. एक व्यक्ति द्वारा स्वयं के रिहायशी मकान के लिए ऋण पर ब्याज के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80EE) [Deduction for interest on loan borrowed for acquisition of house property by an individual [Section 80EE]

(i) योग्य निर्धारिती (Eligible assessee) : धारा 80 EE के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय संस्था से रिहायशी मकान के ऋण पर ब्याज के सम्बन्ध में अतिरिक्त कटौती प्रदान करती है।

(ii) **शर्तें** (Conditions) : इस धारा के अन्तर्गत कटौती के लिए शर्तें निम्न प्रकार हैं :

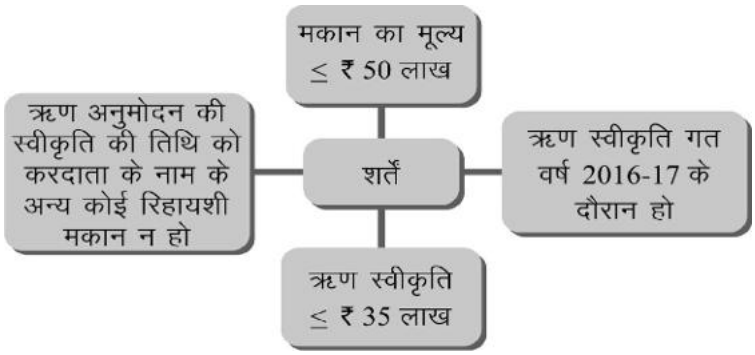

(iii) **लाभ की अवधि** (Period of benefit) : इस धारा के अन्तर्गत कटौती का लाभ तब तक उपलब्ध होगा जब तक ऋण की अदायगी जारी रहती है।

(iv) **कटौती का परिमाण** (Quantum of dedution) : अधिकतम स्वीकृत कटौती ₹ 50,000 होती है। धारा 80EE के तहत ₹ 50,000 तक कटौती धारा 24 के तहत स्वयं अर्जित सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए उधार ऋण के सम्बन्ध में ब्याज के भुगतान के लिए उपलब्ध ₹ 2,00,000 तक कटौती से अतिरिक्त होती है।

(v) **कुछ शब्दों के अर्थ** (Meaning of certain terms) :

	शब्द	अर्थ
(a)	वित्तीय संस्था	• एक बैंकिंग कम्पनी जिस पर बैंकिंग रेग्यूलेशन, अधिनियम, 1949 लागू होता है; या • कोई भी बैंक या बैंकिंग संस्था जो बैंकिग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949 की धारा 5 के सन्दर्भ अनुसार; या • हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी
(b)	हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी	एक पब्लिक कम्पनी जिसका निर्माण व रजिस्ट्रेशन रिहायशी मकानों के निर्माण या क्रय हेतु दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से हुआ हो।

© The Institute of Chartered Accountants of India